



Neutral Citation No.-2026:AHC:1591

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-34813 वर्ष 2024

फैज उर्फ फैजू आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: पटगेंद्र भूषण मिश्रा, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, महेंद्र बहादुर सिंह, विजेता सिंह

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री कमल कृष्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव, आवेदक के अधिवक्ता, सुश्री विजेता सिंह, सूचनाकर्ता के अधिवक्ता और श्री सुनील कुमार, राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक द्वारा 2022 के अपराध संख्या-147 के मामले में धारा 147, 148, 149, 302, 307, 427, 120-बी, 212 भ०द०वि०, थाना-फाफामऊ, जिला: प्रयागराज के तहत दायर किया गया है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक को मृतक को बंदूक की गोली लगाने की भूमिका नहीं सौंपी गई है। वह केवल गैरकानूनी सभा का सदस्य है और उसका नाम बोलेरो कार में यात्रा करने के लिए पेश किया गया है, जो स्कॉर्पिओ कार का पीछा कर रही थी। यहां तक कि अ०सा०-8 अदनान द्वारा खरीदे गए सीसीटीवी फुटेज में भी आवेदक को इसमें नहीं पाया गया है, इस तरह, आवेदक जमानत का हकदार है।



5. यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक 7.6.2022 से जेल में बंद है, इस प्रकार, कारावास की अवधि लगभग साढ़े तीन वर्ष है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है क्योंकि निकट भविष्य में मुकदमे के जल्द निष्कर्ष निकलने की कोई संभावना नहीं है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

6. अपर शासकीय अधिवक्ता और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है और तर्क दिया है कि मुकदमा निर्णायक चरण में है लेकिन आवेदक के अधिवक्ता इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति की मांग की है और निचली अदालत से प्राप्त 11.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि स्थगन आवेदन अधिवक्ता द्वारा दायर किया गया था, इस प्रकार गवाहों की जिरह पूरी नहीं हो सकी। उक्त स्थिति रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि पहले ही ग्यारह गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, इस प्रकार, मुकदमा अपने निर्णायक अंत में है।

7. पक्षों के लिए अधिवक्ता की तर्कों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय की राय है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। इसलिए, आवेदक फैज उर्फ फैजू की जमानत याचिका खारिज की जाती है।

8. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 6, 2026

शालिनी



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!